प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 23.01.2025

साइबर टीम ट्रांस हिण्डन जोन व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा ऑनलाइन शेयर मार्किट में लोगों का पैसा लगवाने के नाम पर पैसे ट्रान्सफर करवाने वाले कॉल सेन्टर के 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से भिन्न-भिन्न कम्पनी के 03 लैपटाप, 03 लैपटाप के चार्जर, 01 टैबलेट, 03 मॉनीटर, 03 सीपीयू, 02 यूपीएस, 01 प्रिंटर, 01 टीवी, 01 हार्ड डिस्क, 01 फिंगर प्रिट अटेन्डेन्स मशीन, 06 पावर सप्लाई केविल, 03 कीबोर्ड, 02 बीजीए केबिल, 01 टीबी रिमोट, 18 सिमकार्ड, 34 मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनी, 02 मोबाइल चार्जर, 01 आधार कार्ड, 01 पैन कार्ड, 11 डेबिट/क्रेडिट कार्ड, 01 मोबाइल सूची 345 वर्क, 03 माउस, 03 राऊटर, 02 नोटपैड कॉपी व 07 आईकार्ड बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- आज दिनांक 23.01.2025 को साइबर टीम ट्रांस हिण्डन जोन व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट व सर्विलांस की सहायता से चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 417 तृतीय तल शॉप्रिक्स माल से0 4 वैशाली थाना कौशाम्बी में IEVYNE SOLUTION के नाम से चल रहे फर्जी कॉल सेन्टर में ऑनलाइन शेयर मार्केट में लोगों का पैसा लगवाने के नाम पर पैसे ट्रान्सफर करवाने वाले कॉल सेन्टर के 02 अभियुक्त 1. कुशाग्र कुमार पुत्र सन्तोष कुमार निवासी 189 कोटगांव थाना कोतवाली घण्टाघर गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष व 2. कृष्णा भारद्वाज पुत्र दिनेश शर्मा निवासी 84 ओल्ड पंचवटी थाना कोतवाली गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष को भिन्न-भिन्न कम्पनी के 03 लैपटाप, 03 लैपटाप के चार्जर, 01 टैबलेट, 03 मॉनीटर, 03 सीपीयू, 02 यूपीएस, 01 प्रिंटर, 01 टीवी, 01 हार्ड डिस्क, 01 फिंगर प्रिट अटेन्डेन्स मशीन, 06 पावर सप्लाई केविल, 03 कीबोर्ड, 02 बीजीए केबिल, 01 टीबी रिमोट, 18 सिमकार्ड, 34 मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनी, 02 मोबाइल चार्जर, 01 आधार कार्ड, 01 पैन कार्ड, 11 डेबिट/क्रेडिट कार्ड, 01 मोबाइल सूची 345 वर्क, 03 माउस, 03 राऊटर, 02 नोटपैड कॉपी व 07 आईकार्ड सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त कुशाग्र कुमार पुत्र सन्तोष व कृष्णा भारद्वाज पुत्र दिनेश शर्मा उपरोक्त के विरुद्ध धारा 316(2),318(2) बीएनएस व 66डी सूचना प्रौधोगिकी(संशोधन) अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पुछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त कुशाग्र कुमार पुत्र सन्तोष व कृष्णा भारद्वाज पुत्र दिनेश शर्मा उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि यह लोग IEVYNE SOLUTION नाम से फर्जी कॉल सेन्टर चलाते है तथा जो लोग शेयर मार्केट ट्रेडिंग करने के इच्छुक होते है, उन्हें कॉल/मैसेज पर सम्पर्क कर ट्रेडिंग कॉल देने का कार्य करते है। यह लोग शेयर मार्केट साइट से मोबाइल नम्बरों का डाटा लेकर, उस डाटा में से प्रतिदिन भिन्न-भिन्न् लोगों से अलग-अलग सम्पर्क कर उन्हें शेयर मार्केट में रुपये लगाने एवं प्रतिदिन ट्रेडिंग करने के लिए प्रेरित करते है और जो लोग सहमत हो जाते है, उन्हें यह लोग फर्म की ओर से प्रतिदिन शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की कॉल उपलब्ध कराते है तथा उनसे अपने खाते में रुपये ट्रान्सफर कराते हैं। मौके से 02 लोग गिरफ्तार और 01 अन्य साथी मोहम्मद साहिल पुत्र मोहम्मद हुसैन निवासी म0नं0 180 सिहानी गेट पुलिस चौकी के पीछे थाना सिहानी गेट गाजियाबाद फरार हो गया। जिसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता

1. कुशाग्र कुमार पुत्र सन्तोष कुमार निवासी 189 कोटगांव थाना कोतवाली घण्टाघर गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष।
2. कृष्णा भारद्वाज पुत्र दिनेश शर्मा निवासी 84 ओल्ड पंचवटी थाना कोतवाली गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- भिन्न-भिन्न कम्पनी के 03 लैपटाप, 03 लैपटाप के चार्जर, 01 टैबलेट, 03 मॉनीटर, 03 सीपीयू, 02 यूपीएस, 01 प्रिंटर, 01 टीवी, 01 हार्ड डिस्क, 01 फिंगर प्रिट अटेन्डेन्स मशीन, 06 पावर सप्लाई केविल, 03 कीबोर्ड, 02 बीजीए केबिल, 01 टीबी रिमोट, 18 सिमकार्ड, 34 मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनी, 02 मोबाइल चार्जर, 01 आधार कार्ड, 01 पैन कार्ड, 11 डेबिट/क्रेडिट कार्ड, 01 मोबाइल सूची 345 वर्क, 03 माउस, 03 राऊटर, 02 नोटपैड कॉपी व 07 आईकार्ड बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

साइबर टीम ट्रांस हिण्डन जोन व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा लोगों के साथ मारपीट कर हवाई फायरिंग करने वाले 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा, 02 जिन्दा कारतूस व 02 अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 22.01.2025 को थाना शालीमार गार्डन पर वादी श्री कपिल पुत्र प्यारेलाल पता ए-10 गली नंबर एक पप्पू कॉलोनी शालीमार गार्डन गाजियाबाद की तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण 1. आशीष 2. सलमान एवं अज्ञात 01 अन्य साथी के द्वारा वादी के साथ गाली-गलौच कर मारपीट करना तथा पड़ोसी सोनू व उसके जीजा द्वारा मना करने पर सोनू के साथ भी गाली-गलौच कर मारपीट करना व हवाई फायरिंग करना, जिससे आम जनमानस में भय व्याप्त होना तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में धारा 352,115(2),351(2),351(3),125 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसका संज्ञान लेते हुए आज दिनांक 23.01.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर लोगों के साथ मारपीट कर हवाई फायरिंग करने वाले 03 अभियुक्तगण 1. आशीष पुत्र राजकुमार निवासी बी-34 गली न0 02 पप्पू कॉलोनी थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष, 2. सलमान पुत्र असलम निवासी सी-19 गली न0 03 पप्पू कॉलोनी थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष व 3. शाहरूख पुत्र बाबू निवासी बी-106 गली न0 02 पप्पू कॉलोनी थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को बिजली घर के पास पार्क के सामने विक्रम एन्कलेव शालीमार गार्डन से घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा, 02 जिन्दा कारतूस व 02 अवैध

चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u> गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि तीनों अभियुक्त अपने दोस्त आस पास के लोगों में रुतबा दिखाने के लिए अवैध तमंचा व चाकू रखते है। इन तीनों लोगों का दिनांक 21.01.2025 की रात्रि में गली न0 01 के कुछ लोगों से झगड़ा हो गया था। जिसमें अभियुक्तगण उपरोक्त गली न0 01 पप्पू कॉलोनी व उसके आस-पास के लडकों को सबक सीखाने और उन लोगों को डराने के लिए इन लोगों द्वारा मारपीट कर हवाई फायर किया गया था। जब वहा भीड इकट्ठा होने लगी तो यह लोग वहाँ से भाग गए थे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-</u>

1. आशीष पुत्र राजकुमार निवासी बी-34 गली न0 02 पप्पू कॉलोनी थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष।
2. सलमान पुत्र असलम निवासी सी-19 गली न0 03 पप्पू कॉलोनी थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष।
3. शाहरूख पुत्र बाबू निवासी बी-106 गली न0 02 पप्पू कॉलोनी थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

- घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा, 02 जिन्दा कारतूस व 02 अवैध चाकू बरामद।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-</u>

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर मारपीट कर हवाई फायरिंग करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा पिस्टल का लाईसेंस प्राप्त करने हेतु अभियुक्त द्वारा अपने नौकरों के साथ षडयन्त्र रचकर अपने एक नौकर द्वारा अपने अन्य दो नौकरों को अवैध असलहे से घायल कराने की घटना का 24 घण्टे के अन्दर किया अनावरण कर अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।

दिनांक 22/23.01.2025 की रात्रि में थाना विजयनगर क्षेत्र के डीपीएस स्कूल के पास दिल्ली मेरठ हाईवे फ्लाईओवर पर एक छोटा हाथी रजिस्ट्रेशन नम्बर DL1LS8589 के चालक एवं सहायक पर 03 अज्ञात बाईक सवार व्यक्ति द्वारा फायरिंग कर भाग जाने जिसमें चालक व सहायक घायल हो जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पाकर थाना विजयनगर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।

कार्यवाही का विवरण - घटना के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही करते हुये घटना के अनावरण हेतु टीम गठित कर संदिग्ध व्यक्ति , मुखबिर की सूचना एवं लोकल इनपुट व सर्विलांस सैल की मदद से 24 घण्टे के अन्दर घटना का अनावरण किया गया । वाहन संख्या DL1LS8589 के मालिक आरिफ पुत्र सिराजुद्दीन निवासी म0न0 91,92 सुदामापुरी थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद जो चिप्स, कुरकुरे आदि का व्यापार करता है जो पिस्टल का लाईसेन्स बनवाना चहाता था । इसीलिये आरिफ द्वारा अपने नौकर 1. निर्देष 2. गुलफाम व निर्देष के भाई के साथ मिलकर पिस्टल का लाईसेन्स आसानी से प्राप्त करने हेतु षडयन्त्र रचा और अपने नौकरों वाहन संख्या DL1LS8589 में माल भरवाकर भेजा तथा योजना के तहत निर्देष के भाई दिनेश ने वाहन DL1LS8589 को डीपीएस फ्लाई ओवर पर रोककर नौकर गुलफाम व निर्देष को गोली मारी तथा वहां से फरार हो गया । तथा घायल व्यक्तियों द्वारा झूठी सूचना दी कि 03 अज्ञात बाईक सवार व्यक्तियों द्वारा उन पर तमंचे से हमला कर घायल कर दिया है । तथा हमला करने वाले व्यक्ति कहकर गये कि आरिफ को कब तक बचाओंगे उसको भी जान से मार देगे । सूचना पर थाना विजयनगर पुलिस द्वारा घटना की जांच कर घटना का शीघ्र अनावरण कर अभियुक्त आरिफ पुत्र सिराजुद्दीन निवासी म0न0 91,92 सुदामापुरी थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद व दिनेश पुत्र किशन पाल निवासी 91,92 सुदामापुरी थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद मूल पता गांव बागपुर थाना बेवर जिला मैनपुरी को गिरफ्तार कर घायल अभियुक्त 1. निर्देष 2. गुलफाम को हिरासत पुलिस लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता अभियुक्त

1. आरिफ पुत्र सिराजुद्दीन निवासी म0न0 91,92 सुदामापुरी थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष ।
2. दिनेश पुत्र किशन पाल निवासी 91,92 सुदामापुरी थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद मूल पता गांव बागपुर थाना बेवर जिला मैनपुरी उम्र 25 वर्ष ।
3. निर्देष पुत्र किशन पाल निवासी 91,92 सुदामापुरी थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद मूल पता गांव बागपुर थाना बेवर जिला मैनपुरी उम्र 21 वर्ष ।
4. गुलफाम पुत्र इदरीश खान निवासी सुदामापुरी थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद मूल पता गांव रसीदाबाद तिवारी अलीगंज थाना कपिंल जिला फरूकाबाद उम्र 22 वर्ष ।

बरामदगी का विवरणः-

गाड़ी रजिस्ट्रेशन नम्बर DL1LS8589

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि साहब मुझे पिस्टल का लाईसेन्स की आवश्यकता थी । मुझे लाईसेन्स नही मिल रहा था तो मैने अपनी जान का खतरा होने का षडयन्त्र रचा जिसमें मेरे नौकर निर्देष व गुलफाम शामिल हुये मैने अपने नौकरों को एक अवैध तमंचा 315 बोर व 03 कारतूस देकर अपने गौदाम से माल भराकर अपनी गाड़ी रजिस्ट्रेशन नम्बर DL1LS8589 के साथ भेज दिया था तथा डीपीएस फ्लाईओवर पर पहुंचकर षडयन्त्र के अनुसार दिनेश ने गुलफाम व निर्देष को गोली मारकर घायल कर दिया और घटना की सूचना को हम लोगों ने पुलिस को दे दी थी लेकिन थाना विजयनगर पुलिस द्वारा हमारी योचना को असफल कर दिया ।

गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना विजयनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की कार बरामद।

दिनांक 15.01.2025 को थाना मसूरी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी की कार को चोरी कर लेना। जिसके सम्बन्ध में थाना मसूरी पर तत्काल धारा-303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गयी।

तत्पश्चात दिनांक 22-01-2025 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा चेंकिग के दौरान मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त घटना का अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त 1.हाशिम पुत्र मुमत्याज निवासी अजीज कालोनी मसूरी गाजियाबाद 2.गुलाम मोहम्मद पुत्र शराफत निवासी ग्राम सिवाल थाना जानी मेरठ को मसूरी गंगनहर से गिरफ्तार किया गया तथा चोरी की कार बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर धारा-317(2)/61(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तगणों ने बताया कि यह कार कुछ दिन पहले हमने अजीज नगर कालोनी मसूरी से चोरी की थी। पकडे गये गुलाम मौहम्मद ने यह भी बताया कि यह गाडी मेरे लडके दानिश के नाम है, यह गाडी मेरे बेटे ने लोन पर ली थी। घर के हालात सही न होने के कारण मेरा बेटा दानिश गाडी के लोन की किश्त को नही दे पा रहा था तो इस गाडी को दानिश ने मोनिश अली पुत्र हाकिम अली निवासी ग्राम शाहपुर बम्हैटा गाजियाबाद को बेच दी थी और मोनिश ने भी इस कार को आमिर पुत्र सलीम निवासी अजीज नगर कालोनी मसूरी गाजियाबाद को बेच दी थी। बैंक वाले बार बार मेरे घर पर आते थे और हम लोग मोनिश अली और आमिर को गाडी की किश्त जमा करने के लिये कहते थे। मगर इन लोगो ने गाडी की किश्त जमा नही की थी। तब मैने परेशान होकर यह कार अपने अन्य साथी हाशिम पुत्र मुमत्याज व सोएब पुत्र इकरार व साद पुत्र फुरकान निवासीगण मक्का मस्जिद के पास कस्बा व थाना मसूरी के साथ षडयन्त्र कर अजीज नगर कालोनी मसूरी से चोरी कर ली थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1. हाशिम पुत्र मुमत्याज निवासी अजीज कालोनी मसूरी गाजियाबाद, उम्र करीब 38 वर्ष
2. गुलाम मोहम्मद पुत्र शराफत निवासी ग्राम सिवाल थाना जानी मेरठ, उम्र करीब 57 वर्ष

बरामदगी का विवरण

चोरी की एक कार बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त घटना के सम्बध में थाना मसूरी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना मसूरी पुलिस टीम